

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
चुतराराम पुत्र जसवंताराम जाति कुम्हार, निवासी मौखाब खुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर		ओमप्रकाश पुत्र खुशालाराम जाति कुम्हार, निवासी मौखाब खुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (06)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 188)

मुकदमा नम्बर 32/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.03.2024	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह भाटी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 5.4.24 को पेश हो।	
5.4.24	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व अधेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 29.7.24 को पेश हो।	
29.7.24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तामिली हेतु दिनांक 20.9.24 को पेश हो।	
20.9.24	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व अधेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 25.11.24 को पेश हो।	
25.11.24	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली प्रतिवादीगण की तामिली हेतु दिनांक 16.01.25 को पेश हो।	

सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव



16.01.25

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 19.03.25 को पेश हो।

19/3/2025

पत्रावली आज पेश हुई, वादी वकील उपरोक्त पत्रावली वाले प्रतिवादीगण की तामिल हेतु दि. 27/3/2025 को पेश है,

27-3-25

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 03.04.25 को पेश हो।

3/4/2025

पत्रावली आज पेश हुई, प्रकरण में आवश्यक परीक्षा वकील को उपस्थित होने हेतु प्रथम-प्रथम आवाज लगायी गयी, वाकपूरा अनुपस्थित, अतः पत्रावली अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज की जाती है, अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है, अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है, अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है, पत्रावली फैसल कुमार होकर दायर है, दायर है,

सहायक कमिश्नर (SDO) शिव